


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
10/2/20	<p>पन्नावली केस हठी कमील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी लण की तामिल लाकर अपनी बां वं कुं सप्राप्त लाकिके खुदपसिन रहे अतः इनके निरव्य एक तरफ वापसी कमल में लायी जाती है वदक प्रार्थना पर प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गयी सोराने कदक कथन किना कि वाद रास्त अधिप्री वादी काबिक काब्र बार है किन्तु राजस निकारि में प्रार्थी का श्रमपत्र नाम परतुराम पुत्र कोट्टु दर्ज कर दिना गदा। सही नाम राजप्रताप पुत्र कोट्टुराम अन्य दस्तावेज में अंकित है अतः अन्य दस्तावेज में सही नाम राजप्रताप पुत्र कोट्टुराम के अनुसार ही राजस निकारि में हुकम किना जाने का आदेश फलामा जाई।</p> <p>हमने कदक कमील प्रार्थी की सुनी। पन्नावली व पन्नावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किना। राजस शास मेघरोकी कमी की जन्मकी संवत् 2074-2077 में प्रार्थी का परतुराम पुत्र कोट्टु दिसा 1/2 दर्ज है लोके प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, तथा राशन कार्ड में सही नाम राजप्रताप लेनी पुत्र कोट्टु नाम अंकित है। अपना तथा शास</p> <p style="text-align: center;">for —</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>पंचायत मेहरो की डाणी में भी प्रमाण पत्र जारी किया है कि रामप्रताप लेगी पुत्र बौद्ध का राजाद रिमाई में सखत व परतुराम पुत्र बौद्ध वर्ज होगा अतः प्राची द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व ग्राम पंचायत मेहरो की डाणी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं प्राची के कथन साक्षित होते हैं अतः प्राची का प्राचीना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि:-</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>कृषि भूमि ख० न० 2222 ता 2226 व 2228 कुल किता-6 रकबा 3.87 है तब ग्राम मेहरो की डाणी पटवार हलम दाधरा तहसील खण्डेला जिला सीमर राजस्थान के राजाद रिमाई में प्राची का गला नाम परतुराम पुत्र बौद्ध का के स्थान पर प्राची का सही नाम रामप्रताप पुत्र बौद्ध दुरुस्त किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहसील जारी हो जिला जिला फंडाम शुमार होकर होकर नम्बर 1 कम हो जाड तहसील दाखिल दस्तूर हो</p> <p style="text-align: right;">  (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीमर) </p>	